रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1292] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2017/वैशाख 19, 1939
No. 1292] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2017/VAISAKHA 19, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2017

का.आ. 1467(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का समाप्त करता है;

और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), का कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम **राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी)-बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)** (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा किसानों के बीजों की गुणवता में सुधार लाना है:-

क. आधारभूत बीजों या प्रमाणित बीजों आदान राजसहायता उपलब्ध कराकर मोटे अनाजों, दलहनों, तिलहनों, चारे और हरित खाद फसलों से संबंधित बीज ग्राम कार्यक्रम का संचालन, और

ख. आधारभूत बीज आदान राजसहायता बीज प्रमाणन प्रभाग, बीज प्रसंस्करण और बीज भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराकर बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से दलहनों, तिलहनों, चारे और हरित खाद फसलों से संबंधित प्रमाणित बीज उत्पादन।

और, बीज ग्राम कार्यक्रम तथा प्रमाणित बीज उत्पादन का उद्देश्य विभिन्न अभिकरणों तथा राज्य कृषि विभाग, राज्य बीज निगमों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, किसान बीज उत्पादक संगठनों, किसान बीज सहकारी समितियों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड आदि (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से भी किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को प्रशिक्षण, नकद सहायता, रियायतकृत दरों पर बीज (वस्तु के रूप में) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) उपलब्ध कराना है।

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अर्न्तवलित है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के लिए किसी भी पात्र किसान से आधार होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने का इच्छुक किसी किसान जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को **31 मार्च, 2018** तक आधार नामांकन के लिए आवेदन कराना होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in में उपलब्ध सूची) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन विभाग या मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन विभाग या मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से वर्तमान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या मंत्रालय स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में विभाग स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे :

परंतु व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी; अर्थात:-

(क)

(i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका/उसकी आधार नामांकन पहचान की पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति जैसा कि पैरा 2 के उप- पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख)

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक या डाक घर की पासबुक;

(vi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके आधिकारिक लेटर हैड पर जारी फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा निर्बाध रूप से प्रसुविधा प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन विभाग या मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा, अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और उन्हें सलाह दी जा सकेगी कि यदि अभी तक उनका नामांकन नहीं हुआ है तो **31 मार्च, 2017** तक अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित नजदीक नामांकन केंद्रों में स्वयं का नामांकन करा लें। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन कराने असमर्थ हैं तो राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन विभाग या मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करेगा और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाए कि वे राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय या कार्यान्वयन अभिकरण के अभिहित पदाधिकारियों के पास या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल पर पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परंतुक में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 12-2/2015-एसडी-VI]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2017

S. O. 1467(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in the Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry), the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, is administering the Centrally Sponsored Scheme of **National Mission on Agriculture Extension and Technology (NMAET) - Sub-Mission on Seeds and Planting Materials (SMSP)** (hereinafter referred to as Scheme) which is aimed at improving the quality of farmer's seeds through the following: -

a. Seed Village Programme of Cereals, Pulses, Oilseeds, Fodders and Green Manure crops by providing foundation seeds or certified seeds input subsidy, and

b. Certified Seed Production of Pulses, Oilseeds, Fodders and Green Manure crops through Seed Village Programme by providing foundation seeds input subsidy, seed certification charges, seed processing and seed storage.

And Whereas, the Seed Village Programme and Certified Seed production aim to provide training, cash subsidy and subsidized seeds (in-kind) (hereinafter referred to as benefits) to farmers (hereinafter referred to as beneficiaries) through various agencies such as State Department of Agriculture, State Seed Corporations, State Agricultural Universities, Farmers' Seed Producing Organisations, Farmers' Seed Cooperatives, Central Agricultural Universities, National Seed Corporation Ltd., etc. (hereinafter referred to as Implementing Agencies) and also through the State Governments and Union Territory Administrations.

And whereas, the aforesaid Scheme, involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) A farmer eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any farmer desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31.03.2018 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the department under the State Governments or Union Territory Administrations or the Ministry through its Implementation Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar

enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the department under the State Governments or Union Territory Administrations or the Ministry through its Implementation Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by Ministry itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar or by department in the State Governments or Union Territory Administrations itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post Office Passbook with Photo

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration or the Ministry :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union Territory Administration or the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the department under the State Government or Union Territory Administration or the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices to be given to the applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31.03.2018 in case they are not

yet enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries under the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the respective Department under the State Governments or Union Territory Administrations or the Ministry through its Implementation Agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the State Government or Union Territory Administration or the Ministry or the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No.12-2/2015-SD-VI]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.12 15:35:00 +05'30'